मोदी शबरिमला मामले पर मौन, उन्हें धर्म की परवाह नहीं: राहुल गांधी

पत्तनमथिट्ठा (केरल), (भाषा)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि वह केरल दौरे के दौरान शबरिमला मुद्दे पर चुप रहे, जो साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) साथ काम कर रहे हैं।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी ने अडूर में कांग्रेस की एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि नौ अप्रैल को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और भाजपा के गठजोड़ से मुकाबला करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा,˚हम एलडीएफ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जिसे भाजपा का पूरा समर्थन प्राप्त है। एक तरफ संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) है और दूसरी तरफ माकपा-भाजपा का गठजोड़ है˚गांधी ने कहा कि कई साल पहले एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा था कि बाजार में एक छिपी हुई ताकत है, और वह अर्थशास्त्र के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कह रहे थे।उन्होंने कहा, लेकिन केरल के चुनावों में भाजपा का अप्रत्यक्ष हाथ है। गांधी ने कहा कि भाजपा यहां यूडीएफ को नहीं चाहती क्योंकि वे जानते हैं कि देश में उसे चुनौती देने वाली एकमात्र ताकत कांग्रेस है।उन्होंने कहा, भाजपा समझती है कि वाम नीत

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अडूर में कांग्रेस की एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए। (एएनआई)

एलडीएफ राष्ट्रीय स्तर पर उसे कभी चुनौती नहीं दे सकता। वह यह भी जानती है कि अगर वह दिल्ली में सत्ता में हैं, तो केरल में कोई भी एलडीएफ सरकार पूरी तरह से उसके नियंत्रण में होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जो लोग भाजपा का विरोध करते हैं, उन पर भाजपा द्वारा हमला किया जाता है और उन्हें धमकाया जाता है।उन्होंने आरोप लगाया, मेरे खिलाफ 36 मामले दर्ज किए गए हैं और मुझसे लगातार 55 घंटे तक पूछताछ की गई है। लेकिन केरल के मुख्यमंत्री या एलडीएफ नेताओं के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई।गांधी ने कहा, सब जानते हैं कि एलडीएफ नेतृत्व भ्रष्ट है। उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं, लेकिन भाजपा की ओर से उन पर कोई दबाव नहीं है। न कोई पूछताछ हो रही है, न कोई धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, मंदिरों और धर्म के बारे में बात करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, लेकिन वह पलक्कड़ यात्रा के दौरान शबरिमला में हुई घटना को भूल गए। उन्होंने कहा, वह भूल गए हैं कि वाम मोर्चा के नेताओं ने अयप्पा मंदिर से चोरी की थी। वह भूल गए हैं कि वाम मोर्चा के नेताओं ने अयप्पा मंदिर का सोना चुराकर उसकी जगह पीतल रख दिया था। भगवान अयप्पा स्वामी का मंदिर पत्तनमथिट्टा जिले में ही स्थित है। गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने भाजपा को नुकसान से बचाने के लिए चुप्पी साध रखी थी।उन्होंने कहा, इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली यह कि भाजपा और एलडीएफ मिलकर काम कर रहे हैं। दूसरी यह कि नरेन्द्र मोदी को धर्म, हिंदू धर्म या मंदिरों की परवाह नहीं है। गांधी ने कहा, अगर इससे वोट मिलते हैं, तो वह मंदिरों के बारे में बोलेंगे। अगर वह एलडीएफ के हितों की रक्षा करना चाहते हैं, तो वह मंदिरों के बारे में नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि यूडीएफ सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मंदिर से संबंधित कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि एलडीएफ अब वामपंथी पार्टी की तरह व्यवहार नहीं करती है। उन्होंने कहा, अपने कार्यों और नीतियों में वे भाजपा की तरह ही कॉरपोरेट समर्थक हैं।

रामपथ पर अध्ययन का पर्यटन मंत्रालय का कोई विचार नहीं: शेखावत

नई दिल्ली, (विप्र)। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को कहा कि उनके मंत्रालय का रामपथ के अध्ययन का कोई विचार नहीं है।

लोकसभा में प्रश्नकाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गणेश सिंह ने अपने पूरक प्रश्न में पूछा था कि रामायण के अनुसार भगवान राम के चित्रकूट से दक्षिण भारत की यात्रा के मार्ग को रामपथ गमन कहा गया है और क्या उसके अध्ययन के लिए मंत्रालय का कोई समिति गठित करने का विचार है। शेखावत प्रश्नकाल में पर्यटन मंत्रालय से संबंधित पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। वह संस्कृति मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा, संस्कृति मंत्रालय के तहत ऐसे विषयों पर विचार किया जाता है और भविष्य में ऐसी किसी योजना पर काम हो सके, (संस्कृति मंत्रालय में) इस बारे में सोचा जा सकता है। शेखावत ने कहा कि कई विद्वानों ने रामपथ गमन का अध्ययन किया है और कई राज्यों ने भी इस दिशा में काम किया है।

सरकार में वरिष्ठ पदों पर बहुजनों की हिस्सेदारी नहीं: राहुल

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को दावा किया कि सरकार की प्रमुख संस्थाओं में वरिष्ठ पदों पर बहुजनों की हिस्सेदारी नहीं है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने अपने जनसंसद कार्यक्रम में ग्रामीण बैंक के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के एक समूह से मुलाकात के बाद यह टिप्पणी की। वह समाज के विभिन्न वर्गों के समूहों से अक्सर मुलाकात करते हैं और इसे उन्होंने जनसंसद का नाम दिया है।राहुल गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट किया, जनसंसद में कुछ दिनों पहले ग्रामीण बैंक के एसी-एसटी वेलफेयर एसोशिएसन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात हुई। उनकी समस्याएं ध्यान से सुनीं तो वही बात स्थापित हुई जो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि बहुजनों की हिस्सेदारी किसी भी संस्था के वरिष्ठ पदों पर है ही नहीं। उन्होंने कहा, प्रतिनिधिमंडल में आए साथियों ने बताया कि किस तरह नीतिगत तरीके से प्रोन्नति के लिए नियम होने के बावजूद उनके साथ इसमें भेदभाव किया जाता है। कभी कामकाज, कभी योग्यता के बहाने से उनकी तरक्की रोक दी जाती है। और तो और अगर ये दलित-आदिवासी संगठन के पदाधिकारी आवाज उठाते हैं तो उनका बार-बार और सुदूर क्षेत्रों में तबादला करके सजा दी जाती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आरक्षण के कारण इन समुदायों को शुरुआती स्तर के पदों की नौकरियां तो मिल जाती हैं, मगर उसके बाद इनके लिए बड़े पदों तक पहुंच पाना नीतिगत भेदभाव के कारण लगभग असंभव हो जाता है। राहुल गांधी ने कहा, यह जानकर दुख तो हुआ, मगर आश्चर्य बिल्कुल नहीं कि इन बैंकों में शीर्ष पदों पर दलितों और आदिवासियों को कभी भी पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। हर मंच से मैं यही सच्चाई दोहराता आया हूं।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिहार विस की सदस्यता से इस्तीफा दिया

पटना, (भाषा)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के दो सप्ताह बाद सोमवार को बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बांकीपुर सीट से उनका इस्तीफा भाजपा की बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को सौंपा।प्रेम कुमार ने संवाददाताओं से कहा,˚नितिन नवीन का इस्तीफा मुझे सरावगी द्वारा सौंपा गया है। इसे स्वीकार कर लिया गया है। आगे की औपचारिकताओं के लिए मैंने इसे संबंधित अधिकारियों को भेज दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सोमवार को राज्य विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। नवीन और जनता दल (यूनाइटेड) प्रमुख दोनों 16 मार्च को संसद के उच्च सदन के लिए निर्वाचित हुए थे। नवीन ने इस्तीफा दिए जाने से पहले सोमवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा,˚आज मैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के पद से इस्तीफा दे रहा हूं।

Proclamation Requiring Attendance of Defendant (Order 5, Rule 20 of The Code of Civil Procedure) In The Court of Sh. Anil Kumra Paswan, District Judge-15, Commercial Court, (Central-District) Room No. 501, Extension Building, Tis Hazari Courts, Delhi.

CS DJ No.753/2023

Manoj Kumar Sharma ......(Plaintiff)

V/s

Gaurav Sharma .....(Defendant)

To,

Gaurav Sharma S/o Prem Kumar Sharma, Earlier R/o H. No. 5485/9, Basti Harphool Singh, Sadar Thana Road, Sadar Bazar, Delhi-110006.

Presently R/o H. No. 10448, Gali No.2, Bagichi Allauddin, Motiya Khan, Paharganj, Near Sunder Lal Jain Hospital, Delhi-110055.

Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the **06th day of April, 2026 at 10 AM,** the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the court, this **09th day of March, 2026.**

Seal Sd/-

District Judge-15, Commercial Court, (Central-District), Tis Hazari Courts, Delhi.

प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु उद्घोषणा

(सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश–5, नियम–20)

न्यायालय श्री पुलस्त्या प्रमाचाला, जिला जज (कॉमर्शियल कोर्ट)–01, कमरा नं. 01, नई दिल्ली जिला, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली

कमरा नं. 01

मुकदमा सं. सीएस (कॉम) 539/2023

सुनवाई की अगली तिथि– 25.04.2026

केस टाइटल

मेसर्स आईसीआईसीआई बैंक लि.

बनाम

राहुल कुमार

सेवा में,

राहुल कुमार पिता एम. आर. अरुण प्रसाद (कर्जदार), निवासी– मकान नं. 117, दूसरा तल, रूम 35, उपराही मोहल्ला, महिपालपुर, नजदीक छोटी रेड लाइट, दिल्ली– 110037

जैसा कि उपरोक्त नामित वादी ने आपके खिलाफ एक मुकदमा दाखिल किया है। आपको एतद्द्वारा समन किया जाता है कि आप व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में 25.04.2026 को प्रातः 10:00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।

ध्यान रखें कि यदि आप उपर बताए गए दिन न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो आपकी अनुपस्थिति में मुकदमे पर सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा।

आज 23 मार्च, 2026 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर के साथ जारी किया गया।

जिला जज, कॉमर्शियल कोर्ट, पटियाला हाउस

Proclamation Requiring Attendance of Defendant (Order 5 Rule 20 of the Code of Civil Procedure) In The Court of Sh. Harish Kumar, District Judge (Commercial Court)-04, West District Room No. 202, 2nd Floor, Extension Block, Tis Hazari Courts, Delhi.

Suit No. CS (Comm) 34/2026

State Bank of India .....Plaintiff

V/s.

Mr. Naresh Kumar ....Defendant

To,

Defendant

Mr. Nareah Kumar, S/o Mr. Girdhari Lal, R/o T-580/D-1A, Vijay Marg, Gali No. 2, Baljeet Nagar, New Delhi-110008.

Mobile No. 97112595532/9266769348

The Defendant Above Named

Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the **21.04.2026** the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

Give under my hand and seal of the Court, this **24.02.2026.**

Seal Sd/-

District Judge (Commercial Court)-04, West District, Tis Hazari Courts, Delhi.

उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि.

(पारेषण पश्चिम) विद्युत पारेषण मण्डल, 132 के.वी. उपकेन्द्र लालकुआं, गाजियाबाद

ई–निविदा सूचना, दिनांक–30.03.2026

निविदा संख्या एवं कार्य का संक्षिप्त विवरण

1. ई–निविदा संख्या टी–07/ईटीसी/जीजैडबी/2026 विद्युत पारेषण खण्ड–द्वितीय के अन्तर्गत 132 के.वी. उपकेन्द्र यूपीएसआईडीसी मसूरी पर क्षमतावृद्धि (1X63+1X40) एम.वी.ए. से (1X63+2X40) एम.वी.ए. सम्बन्धी कार्य। निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 590.00 एवं धरोहर धनराशि रू. 11,000.00 मात्र।

2. ई–निविदा संख्या टी–08/ईटीसी/जीजैडबी/2026 विद्युत पारेषण खण्ड–प्रथम के अन्तर्गत 220 के.वी. उपकेन्द्र लोनी पर बे निर्माण सहित क्षमतावृद्धि (1X200+1X150) एम.वी.ए. से (1X200+1X150+1X160) एम.वी.ए. सम्बन्धी कार्य। निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1770.00 एवं धरोहर धनराशि रू. 55,000.00 मात्र।

ई–निविदा की अन्तिम तिथि–24.04.2026 समय 12:00 बजे ।

विस्तृत जानकारी एवं प्रपत्र वेबसाइट–http//etender.up.nic.in पर उपलब्ध हैं। अग्रेतर समस्त सूचनायें वेबसाइट पर ही प्रदर्शित की जायेगी।

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, गाजियाबाद

पत्रांक/1964/विपामगा/निविदा विज्ञापन/2026 दिनांक– 30.03.2026

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मुख्य कार्यशाला प्रबंधक कार्यालय, रेल कोच नवीनीकरण कारखाना, सोनीपत, उत्तर रेलवे, निम्नलिखित कार्य के लिए ई–निविदा करते हैं।

1	**निविदा संख्या :** 353935
2	**कार्य का नाम और कार्य स्थान :** "एलएचबी एसी कोचों में शौचालय और नॉन–एसी क्षेत्र के नवीनीकरण का प्रावधान।"
3	**अनुमानित लागत :** रु. 1,92,76,020.96/- जीएसटी @ 18% सहित
4	**बयाना राशि :** रु. 2,46,400/-
5	**निविदा फार्म का मूल्य :** शून्य
6	**कार्य अवधि :** अवधि कार्य आरंभ होने से बारह महीने
7	**निविदा प्रपत्र जमा करने की तथा खुलने की तिथि व समय :** दिनांक 20.04.2026, खुलने का समय 15:00 बजे।
8	**निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट साइट :** उपरोक्त निविदा IREPS साईट पर उपलब्ध है जो कि है **www.ireps.gov.in**
9	**यदि हिन्दी व इंग्लिश के नोटिस में कोई विरोधाभास है, तो इंग्लिश का नोटिस ही मान्य होगा।**

सं.: 353935 दिनांक: 30.03.2026 **1059/2026**

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 CrPC/84 BNSS देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **सरबजीत चौहान उर्फ जीतू पुत्र सतीश चौहान निवासी मकान नंबर बी–1472, गौतम पुरी, फेज–2, बदरपुर, नई दिल्ली** ने **FIR No. 046/2026 U/S 103(1)/109(1)3(5) भारतीय न्याय संहिता, अन्तर्गत थाना बदरपुर, नई दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **सरबजीत चौहान** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **सरबजीत चौहान** फरार हो गया है (या उक्त वारंट के तामील से बचने के लिये खुद को छिपा रहा है)।

अतः इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि **FIR No. 046/2026 U/S 103(1)/109(1)3(5) भारतीय न्याय संहिता, अन्तर्गत थाना बदरपुर, नई दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **सरबजीत चौहान** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **10.05.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार,

श्री विनोद जोशी

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी

दक्षिण–पूर्व जिला, न्यायालय नंबर 515

न्यायालय, नई दिल्ली

DP/4007/SE/2026(Court Matter)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 सीआरपीसी देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **राम नरेश, प्रोप्राइटर, मैसर्स एन. एस, गारमेंट्स, निवासी एक्स/808, प्रथम मंजिल, चांद मोहल्ला, गांधी नगर, दिल्ली-110031 ने सीटी नं.375/2017 धारा 138 एनआई एक्ट, थाना गांधी नगर, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया है कि उक्त अभियुक्त **राम नरेश** मिल नहीं रहा है और समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया है कि उक्त अभियुक्त **राम नरेश** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है **कि सीटी नं.375/2017 धारा 138 एनआई एक्ट, थाना गांधी नगर, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **राम नरेश** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए 29.04.2026 को या उससे पूर्व हाजिर हो।

आदेशानुसार

प्रेरणा राय

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-02, पूर्वी जिला

कोर्ट नं.15, कड़कड़डूमा कोर्ट्स, दिल्ली

DP/4034/SHD/2026

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा **82 Cr. P.C.** देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त, **प्रमोद कुमार अनेजा,** पताः मकान न. 4/175, प्रथम तल, ब्लॉक–बी, पॉकेट–04, सेक्टर–08, रोहिणी, नई दिल्ली, ने **CC NI ACT 4718/2019, U/s: 138 NI ACT,** थानाः मोती **नगर, दिल्ली,** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त, **प्रमोद कुमार अनेजा,** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त, **प्रमोद कुमार अनेजा,** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **CC NI ACT 4718/2019, U/s: 138 NI ACT,** थानाः मोती **नगर, दिल्ली,** के उक्त अभियुक्त, **प्रमोद कुमार अनेजा,** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **06.05.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार

सुश्री पूनम सिंह

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (एनआईएक्ट)–04

जिला पश्चिम, कमरा न. 04(ऐनेक्स–I)

तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/4040/WD/2026 (Court Matter)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **आकाश उर्फ गजनी, पुत्र मोनी कुमार निवासी झुग्गी नंबर 20, दूसरी मंजिल, सी-ब्लॉक, नारायणा, कपूर अस्पताल के सामने, दिल्ली ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 175/2016 भा.द.सं. की धारा 380/457/411 के तहत, थाना कश्मीरी गेट, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया है कि उक्त अभियुक्त **आकाश उर्फ गजनी** मिल नहीं रहा है और समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया है कि उक्त अभियुक्त **आकाश उर्फ गजनी** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है **कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 175/2016 भा.द.सं. की धारा 380/457/411 के तहत, थाना कश्मीरी गेट, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **आकाश उर्फ गजनी** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए **08.05.2026** को या उससे पूर्व हाजिर हो।

आदेशानुसार

श्री वैभव गर्ग

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-11 (केंद्रीय)

कमरा नं.138, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/4049/N/2026

ऋण वसूली अधिकरण–I, दिल्ली

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

ओ ए. 629/2024

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. ......आवेदक

बनाम

आनन्द गोपाल मिश्रा ....प्रतिवादी

सेवा में,

(1.) श्री आनन्द गोपाल मिश्रा, यूनिट नं. 001, भूतल, प्लॉट नं. सी–004, खसरा नं. 805, पॉकेट–सी, टाइप–एफ, शौर्यपुरम, शाहपुर भामेटा, एनएच–24, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201002

(2.) सुश्री ललिता मिश्रा यूनिट नं. 001, भूतल, प्लॉट नं. सी–004, खसरा नं. 805, पॉकेट–सी, टाइप–एफ, शौर्यपुरम, शाहपुर भामेटा, एनएच–24, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201002 सभी निवासी सी–4एफ/289–ए, प्रथम तल, जनकपुरी, सी–4, पश्चिम दिल्ली–110058

इसके साथ पैसिफिक म्यूजिक एकादमी, दूसरा तल, सीबी–152, रिंग रोड, नारायणा, दिल्ली–110028

चूंकि उपरोक्त नामित आवेदक ने रु. 33,08,627.12/– (तैंतीस लाख आठ हजार छह सौ सत्ताइस रुपए एवं बारह पैसे) की वसूली के लिए आपके विरुद्ध एक मुकदमा दाखिल किया है और अधिकरण के संज्ञान में आया है कि सामान्य तरीके से आपको जानकारी देना संभव नहीं है इसलिए इस विज्ञापन के माध्यम से सूचना देते हुए आपको 02.04.2026 को एलडी. रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। (विस्तृत विवरणों के लिए कृपया डीआरटी वेबसाइट www.tribunal.gov.in देखें फोन नम्बर 011–23748473)। यह ध्यान रखें कि निर्धारित तिथि को अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा।

(i). सभी संबंधित व्यक्ति हाइब्रिड मोड (न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थित होकर या सिस्को वेबैक्स वीसी लिंक) के माध्यम से अपने केस में उपस्थित हो सकते हैं।

(ii). वीसी के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति के लिए सभी अधिवक्ताओं/लिटिगेंटस को सिस्को वेबैक्स एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा।

(iii). ''मीटिंग आईडी'' और ''पासवर्ड'' माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार/वसूली अधिकारी–1/एवं वसूली अधिकारी–II द्वारा की जाने वाली सुनवाई की अगली तिथि के लिए डीआरटी आधिकारिक पोर्टल drt.gov.in पर सार्वजनिक सूचना हैड के अंतर्गत सुनवाई की तिथि से एक दिन पूर्व उपलब्ध होगा।

(iv). किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए अधिवक्ता/लिटिगेंट्स फोन नं. 23748473 पर संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

आज 5 दिसम्बर, 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मोहर के साथ जारी किया गया।

अधिकरण के आदेशानुसार

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 सीआरपीसी देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **कृष्ण, पुत्र जय प्रकाश निवासी एफ-6/318, सुल्तानपुरी, राज पार्क, बाहरी जिला, दिल्ली ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 328/2022 धारा 33/38 एक्साइज एक्ट, थाना राज पार्क, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया है कि उक्त अभियुक्त **कृष्ण** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया है कि उक्त अभियुक्त **कृष्ण** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 328/2022 धारा 33/38 एक्साइज एक्ट, थाना राज पार्क, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **कृष्ण** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **29.04.2026** को या उससे पूर्व हाजिर हो।

आदेशानुसार

सुश्री ईब्बानी अग्रवाल

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी

कोर्ट नं.107, प्रथम तल, रोहिणी कोर्ट्स, दिल्ली

DP/4066/OD/2026

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 सीआरपीसी/84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया नामः **सुमित उर्फ समीर,** पुत्रः **सुरेश,** निवासीः **मकान नंबर 1859, गली नंबर 8, गोविंद पुरी, दिल्ली और पताः मकान नंबर 1359, गली नंबर 8, गोविंद पुरी, दिल्ली** ने अपराध किया है (या किए जाने का संदेह है) इसके विरूद्व **FIR No.81/2018 U/S 356/379/411 IPC** के तहत यह मामला **थाना विजय विहार, रोहिणी जिला, दिल्ली** में दर्ज किया गया है और उसके बाद जारी गिरफ्तारी वारंट को यह कहते हुए वापस कर दिया गया कि अभियुक्त **सुमित उर्फ समीर** नहीं मिला या मेरी संतुष्टि के लिए दिखाया गया है कि अभियुक्त **सुमित उर्फ समीर** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा कि **FIR No.81/2018 U/S 356/379/411 IPC थाना विजय विहार, रोहिणी जिला, दिल्ली** के अभियुक्त उक्त **सुमित उर्फ समीर,** को उक्त परिवाद का जवाब देने के लिए **दिनांक 30.04.2026.** को या उससे पहले अदालत के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है।

आदेशानुसार, सुश्री शगुन,

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी (उत्तर–पश्चिम),

कमरा नं. 106, प्रथम तल, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।

DP/4081/RD/2026

(अदालती मामला)

वीर अर्जुन

वर्गीकृत विज्ञापन

Change of Name

I, Sanjeev S/o Sh. Samay Singh, R/o H. No. 1, Himayupur Village, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029, do hereby declare That my correct & original name is Sanjeev That Sanjeev and Vinod both are the one and the same person **C-40044**

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खंड द्वितीय (उत्तर), जयपुर

क्रमांकः– अअ/नख–II (उ.)/25–26/3343–63 दिनांकः– 24.03.2026

निविदा सूचना

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से संधारण/संचालन कार्य करने हेतु उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों एवं अन्य पंजीकृत संवेदकों जो राजस्थान सरकार के नियमानुसार अधिकृत हो. से निर्धारित प्रपत्र में "Transportation of Water through Tankers at CSD VIII/IX/X(N) under jurisdiction of City Division-II (North), PHED, Jaipur कार्य हेतु ई–प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया द्वारा ऑनलाइन निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक संवेदक ई–निविदा में भाग लेने हेतु अपने डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी) http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। निविदा संबंधित विवरण निम्नलिखित वैबसाईट पर देख सकते हैं।

1. http://www.eproc.rajasthan.gov.in (Online) (2) http://sppp.rajasthan.gov.in

S. No.	NIT Nubmber	UBN Code
1	24/2025-26	PHE2526WSRC15849

ह/–

(संजय कुमार शर्मा)

अधिशाषी अभियंता

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

नगर खंड–II (उ.) जयपुर

DIPR/C/6197/2026

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त नाम **महेंदर पुत्रः श्री** मुन्ना राम **पताः** वेगाबोंड ओल्ड लाजपत राय मार्केट लाल किला दिल्ली, **स्थायी पताः** वीपीओ–चांद समा तेह–देचू, जिला, फलोदे, जोधपुर, राजस्थान, ने **FIR No. 999/25 U/s 304(2)/317(2) BNS थानाः कोतवाली, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **महेंदर,** मिल नहीं रहा हैं और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **महेंदर,** फरार हो गया है(या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा हैं)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No. 999/25 U/s 304(2)/317(2) BNS थानाः कोतवाली, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **महेंदर,** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **06.05.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार

सुश्री सायशा चड्ढा

जेएमएफसी–08, कमरा नंबर 272

तीस हजारी, न्यायालय, दिल्ली

DP/3917/N/2026 (Court Matter)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **आरिफ** पुत्र मोहम्मद अहमद निवासी सी-5/9, चौहान बंगेर, लेटर बॉक्स वाली गली नंबर 6, जाफराबाद, दिल्ली ने **प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 29/05 धारा 457/380/411 भा.दं.सं. थाना भजनपुरा, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **आरिफ** मिल नहीं रहा है, और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **आरिफ** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इसके खिलाफ माननीय अदालत द्वारा **धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** की कार्यवाही जारी हो चुकी है। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 29/05 धारा 457/380/411 भा.दं.सं. थाना भजनपुरा, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **आरिफ** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए **23.05.2026** को हाजिर हो।

आदेशानुसार: श्री पंकज राय,

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी-01,

कमरा संख्या 73, पांचवीं मंजिल, उत्तर-पूर्वी जिला,

कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

DP/3616/NE/2026

उत्तर रेलवे

इ–निविदा (इ–प्रोक्यूमेंट) के माध्यम से निविदा आमंत्रण

निम्लिखित कार्य के लिये वरिष्ठ मंडल अभियंता/III, उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल मे इ–निविदा आमंत्रण।

कार्य का नाम	ADEN/DLI के अंतर्गत SSE/W/DLI /लाइन के खंड में शकुरबस्ती स्थित DEMU शेड में सुरक्षा अवसंरचना और संबद्ध कार्यो का उन्नयन।		
कार्य की अनुमानित लागत (रुपये)	₹7,88,90,183.57/- (रुपये सात करोड़ अड्डासी लाख नब्बे हजार एक सौ तिरासी और सत्तावन पैसे मात्र)		
बयाना राशि (रुपये)	₹15,77,800.00/- (रुपये पंद्रह लाख सतहत्तर हजार आठ सौ मात्र)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रुपये)	₹ 0.00/-
निविदा बोली प्रस्तुत करने और निविदा खोलने की तिथि और समय	22.04.2026 को 15:00 तक		
वेबसाइट विवरण जहां निविदा दस्ता वेजों का पूरा विवरण देखा जा सकता है	निविदा www.ireps.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध।	आवंटन	20426203

•ठेकेदारो को ई–टेंडर प्रणाली में भाग लेने के लिए भारतीय रेलवे ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम (IREPS) साइट यानी **www.ireps.gov.in** के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। •सभी नियमों और शर्तों के लिए कृपया निविदा दस्तावेज देखें। • मैनुअल निविदाये स्वीकृत नहीं की जायेगी। •निविदा दस्तावेज और बयाना की लागत केवल नेट बैंकिंग या भुगतान गेटवे के माध्यम से स्वीकार्य होगी।

सः 128-W/280/इ-निविदा सूचना / 58/2025-26/W-3 दिनांकः 30.03.2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ **1081/2026**

शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L74899DL1986PLC023202

पंजीकृत कार्यालयः डी–188, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I, नई दिल्ली–110020

फोन नं. +91 11 4733 4100,

E-Mail: investorrelations@shardamotor.com, Website: www.shardamotor.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 और अन्य लागू नियम, यदि कोई हो, के अनुसरण में यह सूचित किया जाता है कि ट्रेडिंग विन्डो बुधवार, 1 अप्रैल 2026 से वित्तीय वर्ष 2025–26 की चौथी तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा से अड़तालीस घंटे तक बंद रहेगी। इसलिए कंपनी का कोई भी सम्बद्ध व्यक्ति इस ''निषिद्ध अवधि'' के दौरान कंपनी के शेयरों का लेन–देन नहीं कर सकेगा।

कृते शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

हस्ता./–

नितिन विश्नोई

कार्यपालक निदेशक एवं कम्पनी सचिव

दिनांकः 30 मार्च, 2026

स्थानः नई दिल्ली

उत्तर रेलवे

ई–निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मुख्य अभियंता/टीएसपी, उत्तर रेलवे, मुख्यालय कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली–110001 ई–प्रोक्योरमेंट प्रणाली के माध्यम से निम्नलिखित निविदा आमंत्रित करते है।

निविदा संख्या	संक्षिप्त विवरण	निविदा दस्तावेज की कीमत (रुपये में)	बयाना राशि (रुपये में)	अनुमानित निविदा मूल्य (रुपये में)	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	समापन की अवधि
सीएसपी–केएसएफ_05_2025–26	उत्तरी रेलवे, खालिसपुर–वाराणसी स्थित कंक्रीट स्लीपर प्लांट में दो वर्ष की अवधि के लिए स्टीम कोल बॉयलर का संचालन, धुलाई और रखरखाव, जिसमें स्टीम कोल की व्यवस्था भी शामिल है।	कुछ नहीं	165000/–	8249028.48	22.04.2026 को 15.00 बजे	24 माह

नोटः उपरोक्त ई–प्रोक्योरमेंट टेंडर की संपूर्ण जानकारी **www.ireps.gov.in** वेबसाइट पर उपलब्ध है।

संख्या सीएसपी–केएसएफ 05–2025–26 दिनांकः 30.03.2026 **1074/2026**

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

वैधानिक सूचनाः पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन में प्रकाशित किसी उत्पाद या सेवा के बारे में पूरी तरह उपयुक्त जांच-पड़ताल कर लें। यह समाचार पत्र उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता। समाचार पत्र उपरोक्त विज्ञापनों के बारे में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।